

## प्रेस नोट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 29.10.2021

### अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्री के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अवैध कच्ची शराब निष्कर्षण व विक्री पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु आपरेशन डर्टी वाटर के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक गोला के कुशल मार्गदर्शन में वरि०उ०नि० विनय कुमार मिश्रा, उ०नि० रामजी गुप्ता हमराह का० विपिन यादव, का० अमरनाथ यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर नरगड़ाजंगा सिंह दियरा क्षेत्र में अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब का निष्कर्षण करते समय एक अभियुक्त बबलू निषाद पुत्र सुदामा निषाद निवासी ग्राम रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब कुल 20 लीटर, नौसादर 01 KG व यूरिया 510 ग्राम, शराब बनाने के उपकरण 4 स्टील ड्रम, दो एल्युमिनियम का पतिला आदि के साथ दिनांक 28.10.2021 समय 22.25 PM बजे गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बेलघाट पर यथा मु०अ०सं० 167/2021 धारा 60/63 EX ACT व 272 IPC थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

बबलू निषाद पुत्र सुदामा निषाद निवासी ग्राम रापतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर ।

#### गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 28.10.2021 समय 22.25 PM बजे व नरगड़ाजंगा सिंह दियरा क्षेत्र थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर ।

#### गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण

1. वरि०उ०नि० विनय कुमार मिश्रा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० रामजी गुप्ता थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. का० विपिन यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
4. का० अमरनाथ यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर